

०६/०२

पत्रावली पेश हुई वकील जवाब अनुपस्थित हो  
वकील जवाब की कठोर कद आवाज लगाई  
गनी। बाजिर नहीं हैं। स्वयं जवाब भी अनुपस्थित  
हो लिटिका प्रवर्तना चर जवाब वकील जवाब की  
अपन दायरे अपन पैर में खारि किया जाता  
है। तथा न्यायालय द्वारा जारी अस्वार्थ  
निर्ध्याना दिनांक ०८.०३.२०१६ को निरस्त किया  
जाता है। पत्रावली फॉर्म में शुभल होकर  
मूल वाद संलग्न रहे

साधुल

उपखण्ड अधिकारी राजस्व  
रायसिंहनगर